

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार संबंधी नरिदेश वापस लिये

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में अपना नरिदेश वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और नज्जी संस्थाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) से संबंधित कोई भी कार्य करने से रोक दिया गया था।

मुख्य बंदि

■ परामर्श वापस लेना:

- वन विभाग ने शुरू में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत दी गई CFRR भूमिपर नयितरण का दावा किया था, जो कर्किंदर सरकार द्वारा मॉडल प्रबंधन योजनाओं के जारी होने तक लंबित था।
- परामर्श में वन विभाग को CFRR कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी नामित किया गया, जिसके कारण आदवासी समुदायों ने वरिध प्रदर्शन किया, जनिहोंने इसे वन संसाधनों के प्रबंधन के अपने अधिकारों का उल्लंघन माना।
 - चिताओं का समाधान करने के लिये, वन विभाग ने जनजातीय मामलों और पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया है कवि सभी हतिधारकों के लिये वसितृत CFRR योजनाएँ, कार्यान्वयन दशानरिदेश और प्रशिक्षण मॉड्यूल तत्काल जारी किया जाए।

■ वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- परचिय:** इसे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातयिों (ST) और अन्य पारंपरिक वन नवासयिों (OTFD) को आधिकारिक रूप से वन अधिकारों और पट्टेदारी को मान्यता प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेजीकरण के बिना पीढ़यिों से इन वनों में आवास कर रहे हैं।
- उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना है, जनिका सामना इन समुदायों को औपनविशिक और पश्च-औपनविशिक वन प्रबंधन नीतयिों के कारण करना पड़ा, जनिहोंने भूमिके साथ उनके गहन और सहजीवी संबंधों को नज़रअंदाज़ कर दिया।
 - भूमिक संस्थायी पहुँच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके, जैवविविधता और पारस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर और उन्हें अवैध बेदखली और वसिथापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना।
- प्रावधान:**
 - स्वामित्व अधिकार:** लघु वन उपज (MFP) पर स्वामित्व प्रदान करता है। वन उपज के संग्रह, उपयोग और नपिटान की अनुमति प्रदान करता है।
 - MFP से तात्पर्य वनस्पतभूल के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों से है, जसिमें बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत शामिल हैं।
 - सामुदायिक अधिकार:** इसमें नसितार (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार शामिल हैं।
 - पर्यावास अधिकार:** आदमि जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके पारंपरिक पर्यावासों के अधिकारों की रक्षा करता है।
 - सामुदायिक वन संसाधन (CFR):** समुदायों को उन वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जनिहें वे पारंपरिक रूप से संरक्षित करते आए हैं।
 - यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित लोक कल्याण परयोजनाओं के लयिवन भूमिके उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम सभा की स्वीकृतिके अधीन है।

■ सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)

- अनुसूचित जनजात और अन्य परंपरागत वन नवासी** (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जसि आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन की “सुरक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन” के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।
 - ये अधिकार समुदाय को स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा वन उपयोग के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 5 के अंतर्गत अपनी जमिंदारयिों का नरिवहन करते हैं।

